आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर न्यायालय उपायुक्त, पलामू।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय–उपसमाहर्त्ता भू0सु0 सदर मेदिनीनगर

दा0खा0 अपील वाद–सं0–XV-15/16–17

छोटे कुरैशी .... अपीलार्थी

–बनाम–

शीला जायसवाल एवं अन्य .... विपक्षी

3074
3075

आदेश

यह दाखिल–खारीज अपील वाद विद्वान उप समाहर्त्ता, भू0सु0, सदर मेदिनीनगर द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0–919/2015 में दिनांक 18.05.2016 को ग्राम शाहपुर थाना चैनपुर के खाता नं0–132 प्लॉट नं0 1057 रकबा $0.30\frac{3}{4} + 0.30\frac{3}{4}$ एकड़ कुल रकबा 0.61½ एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम से पारित दाखिल–खारीज आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी। बाद लंबित रहने के दौरान विपक्षी सं0 4 कृष्णा पासवान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी दयावन्ती कुअंर एवं सुबाश कुअंर दोनों के पति स्व0 कृष्णा पासवान, सुजीत पासवान एवं आनन्द पासवान दोनों के पिता स्व0 कृष्णा पासवान को पक्षकार बनाया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी द्वारा दाखिल रिमाण्डर का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का दावा है कि ग्राम शाहपुर के खाता नं0 132 प्लॉट नं0 1057 का कुल रकबा 2.46 एकड़ भूमि विगत सर्वे खतियान में अजायब दुसाध वगैरह एवं ठकुरी बड़ही वगैरह के नाम से दर्ज है। ठकुरी बड़ही द्वारा दायर टाइटील सूट

नं0–16/1922 में सुलहनामा के आधार पर डिक्री पारित हुआ तथा दुसाध पट्टी को प्लॉट नं0 1057 में आधा हिस्सा तथा बड़ही पट्टी को आधा हिस्सा मिला तथा स्वत्व, अधिकार एवं कब्जा प्राप्त हुआ। बड़ही पट्टी के मोहन शर्मा वगैरह ने माननीय मुसिंफ पलामू के न्यायालय में टाइटल सूट नं0–53/09 दायर किया है जो लंबित है। कथन है कि अपीलार्थी ने रकबा 1.23 एकड़ निबंधित केवाला सं0 2428 दिनांक 23.03.09 से एवं रकबा 0.61½ एकड़ भूमि निबंधित केवाला सं0 466 दिनांक 11.01.2010 से दुसाध पट्टी एवं बड़ही पट्टी से क्रय किया और दखल–कब्जा में है। अपीलर्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी ने अपीलार्थी एवं अजायब दुसाध के वंशज तथा बड़ही पट्टी के वंश्ज को बिना नोटिस निर्गत किए और बिना स्थलीय जांच के विपक्षी के नाम से दाखिल–खारीज का आदेश पारित कर दिया है जो अवैध है जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में अपेक्षित है।

विपक्षी का दावा है कि विपक्षी सं0 1 एवं 2 ने निबंधित केवाला सं0 2835 दिनांक 01.04.2009 एवं निबंधित केवाला सं0 2836 दिनांक 01.04.2009 के माध्यम से रकबा 0.61½ एकड़ भूमि क्रमशः मोहन शर्मा एवं अन्य एवं मोस0 रामबाची कुंअर एवं अन्य से क्रय किया और दखल–कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि विगत सर्वे खतियान में कुल रकबा 21.20 एकड़ के लिए अजायब दुसाध, रास विहार दुसाध, केश्वर दुसाध, राम सुन्दर दुसाध पे0 गनु दुसाध के नाम से दर्ज है। इशर बड़ही एवं अन्य ने अजायब दुसाध वगैरह के विरूद्ध टाइटील सूट नं0–16/1922 दायर किया जिसमें दोनों के सुलह के आधार पर डिक्री पारित हुआ। इशर बड़ही एवं अन्य को प्रत्येक प्लॉट में आधा हिस्सा तथा अजायब दुसाध एवं अन्य को आधा हिस्सा मिला। तद्नूसार दोनों पक्ष भूमि के स्वाव अधिकार एवं दखल–कब्जा में आए। विपक्षी का दावा है कि विपक्षी सं0 1 एवं 2 ने इशर बड़ही के भाई ठकुरी बड़ही के बंशज से प्रश्नगत् भूमि क्रय किया है और दखल–कब्जा में है जिससे अपीलार्थी का कोई सरोकार नहीं है। कथन है कि अपीलार्थी का दावा मात्र इतना है कि उसे सूचना निर्गत नहीं की गयी और उसे सुनवायी का अवसर नहीं दिया

गया किन्तु प्रश्नगत् भूमि से अपीलार्थी का क्या संबंध है अपने अपील अर्जी में कोई उल्लेख नहीं किया है। विपक्षी का दावा है कि अचंल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से दखल–कब्जा के बिन्दु पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा आपत्तिकर्ता को सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए। सुनवायी करने के बाद ही दाखिल–खारीज का नियमानुसार आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन एवं कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0 1 एवं 2 ने मोहन शर्मा एवं अन्य से प्रश्नगत् भूमि क्रय की है जिनके पूर्वज इशर बड़ही वगैरह को टाइटील सूट नं0–16/1922 से प्रश्नगत् प्लॉट में आधा हिस्सा के लिए स्वाव, अधिकार एवं दखल–कब्जा प्राप्त है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा है। दाखिल–खारीज के लिए दखल–कब्जा ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। यह भी स्पष्ट होता है कि आपत्तिकर्ता को समुचित अवसर देते हुए सुनवाई के पश्चात् ही दाखिल–खारीज आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमाकुल है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा दिनांकः–18.05.2016 का पारित आदेश बहाल रखा जाता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित

24.08.18

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
मेदिनीनगर।

24.08.18

उप समाहर्त्ता, भू0सु0 सदर
सदर मेदिनीनगर।